<u>संख्या - I/912561/202571-4099/71/2023-</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 21-03-2025

विषय: शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठयक्रम में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2025/396, दिनांक 20.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) पी0जी0-2024 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में छः मासिक पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठयक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है :-

<u>1. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा स्टेट मेरिट सूची-</u>

नीट पी0जी0-2024 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण / धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र० के द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से तैयार की जाए।

<u>2. अर्हताएं/अर्नहताएं:-</u>

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी०जी०-2024 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।
- यू०पी० नीट पी०जी० 2024 की काउन्सिलिंग हेतु शासनादेश संख्या-I/687326/2024, दिनांक 09.07.2024 द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी इंटर्नशिप दिनांक 15 अगस्त 2024 तक पूर्ण हो चुकी है, वह काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना तथा उ०प्र० मेडिकल काउन्सिल मे पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

3. पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि :-

- पी०सी०पी०एन०सी०टी० पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।
- पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।
- जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में काउंसिलिंग के पश्चात् धरोहर धनराशि, उसी खाते में नियमानुसार वापस कर दी जायेगी, जिस खाते से उसका भुगतान किया गया है।

4. आरक्षण व्यवस्था :-

- प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार देय होगाः-

(क) उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी - 05 प्रतिशत

- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कांवत बनान यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को

पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता प्रमाण पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगे।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी, Director General of Health Services, Ministry of Health and Family welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- अन्य पिछडा वर्ग हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की शासनादेश संख्या-303/71-2-2016-178/2015 दिनांक 27 जनवरी 2016 के क्रम में पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम हेतु उ०प्र० राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य राजकीय सेवाओं में सेवारत् अभ्यर्थियो हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

5. कांउसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रियाः-

- पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम के काउन्सिलिंग में पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को www.upneet.gov.in पर लॉगिन करते हुए पंजीकरण फार्म में समस्त अपेक्षित विवरण अंकित करते हुए पासवर्ड बनाना होगा। उक्त पासवर्ड का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस लॉक के समय किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् पंजीकरण एवं धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी।
- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों में से च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पो के वरीयता क्रम से ही उसकी मेरिट कम विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटो के सापेक्ष आवंटन किया जायेगा।
- आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा मे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- किसी अभ्यर्थी के आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी दशा में आवंटित

/ प्रवेशित अभ्यर्थी का स्थानान्तरण / परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगीः-

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (pwd)	ST
2	SC (pwd)	SC
3	OBC (pwd)	OBC
4	EWS (pwd)	EWS
5	UR(pwd)	UR
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेतु आरक्षित सीटों पर आवंटन के उपरान्त यदि कोई भी सीट रिक्ट रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को उक्त तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत् अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा, फिर भी यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीट/सीटों को अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट कम विकल्प के आधार पर आवंटन प्रदान किया जायेगा।

6. प्रवेश प्रक्रियाः-

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि प्रशिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित कालेज पर जमा करना अनिवार्य होगा।

- अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख / प्रमाण-पत्र / सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-527/71-2-2016-178/2015 दिनांक 23 फरवरी 2016 के क्रम में पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियो से प्रशिक्षण शुल्क रु0 20,000/- लिया जायेगा।

7. स्टाइपेन्डः-

- उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-527/71-2-2016-178/2015 दिनांक 23 फरवरी 2016 के क्रम में पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियो को कोई स्टाइपेन्ड देय नहीं होगा।

8. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में :-

- अभ्यर्थी के सीट के आवंटन (Allotment) को प्रवेश नहीं माना जायेगा। आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त नहीं करता हैं, तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- पी०सी०पी०एन० डी०टी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त प्रशिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी हैं. तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होंगी।

9. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

यू०पी० नीट पी०जी०-2024 की काउंसिलिंग हेतु गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा ही पी०सी०पी०एन०डी०टी० पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग सम्पन्न करायी जायेगी।

10. समय-समय पर मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित मा० न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 21-03-2025 13:03:56

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।